

अंचल अधिकारी वॉटर्स का कार्यालय

अभिलेख वाद संख्या- 37/2017-18.

वाद का प्रकार- विहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच एवं कार्रवाई से संबंधित।

11.7.16

झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक-2074/रा०, दिनांक-13.05.2016 सहपठित-श्री अनुज शुखर्जी, निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-खा०म०निति-119/85/2308/रा०, दिनांक-03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या-914/रा०, दिनांक-09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरुआ खास भूमि की कायम की गयी जामबंदियों की जांच प्रारंभ की गयी। जांच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अ०नि०द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :-

मौजा-ठाँड़ाड़ी, थाना- 137, खाता संख्या- 03, प्लॉट संख्या- 1236, रकबा- 06 डॉ. एकड़ की भूमि जो गैरमरुआ खास, अनावाद विहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस भौजा के पंजी-II, के जिल्द संख्या- I, के पृष्ठ संख्या- 89, मर जमाबंदी रैयतकाल्की निपांदी के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरिक्षक द्वारा जांचीपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जामबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरिक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आवेश के/ अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध कोड़कर बंदोबस्ती के अधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के अधार पर/ सादा हुकुमनामा के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त से रप्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जगीन की सृजित जगाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका विहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जांच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे विहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक- 19.7.16 को उपस्थापित करें।

लेखापित एवं संशोधित

अंचल अधिकारी

19.7.16  
अंचल अधिकारी

अभिलेख उपस्थापित। हल्का कर्मचारी/प्रभारी अंचल निरीक्षक के जॉच  
प्रतिवेदन, नक्शा चौहदी सहित, जमाबंदी रैयत के वंशजों द्वारा समर्पित राजस्व  
कागजात/शपथ पत्र/स्वधोषणा पत्र एवं संधारित पंजी ॥ के पृष्ठ संख्या 89  
जमाबंदी रैयत का नाम से दर्ज है। प्राधिकार  
कॉलम में जेवरहराप १५१/६४६५ खाता 03 प्लॉट २२  
रकवा ०६५०. अंकित है। लगान रसीद वर्ष १९७०-७१ से निर्गत होने का  
विवरण है। उक्त संकल्प के आलोक में जो वर्ष 1985 से पुर्व का सिद्ध करता है।  
साथ ही जमाबंदी रैयत का शपथ पत्र में उल्लेखित नामित उत्तराधिकार के रूप में  
(१) इंद्रत अंसरी (२) मुफी गुड़ी (३) अंसरी (४) हरिहर अंसरी  
(५) अंसरी (६) अंसरी (७) अंसरी (८) अंसरी (९) अंसरी (१०) अंसरी  
का प्रत्यन्गत सरकारी भू-खण्ड पर कृषि/आवासीय के रूप में दखलकार है।  
उक्त नामित उत्तराधिकारी जमाबंदी रैयत के वंशज सरकारी नौकरी/आयकर  
दाता के श्रेणी में नहीं है। इनके पास कुल धारित रकवा—2.00 एकड़ से  
कम/अधिक है।

०१/१५  
अंचल अधिकारी  
गोविन्दपुर